न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 122/2017

1. सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. जैल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति कम्बोसिख साकिन 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जैल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. जसदीप कौर पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह पत्नी श्री संदीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी भरतनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता — वादी
2. श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10.07.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से चक 3 बी छोटी व चक 1 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में पुश्तैनी कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 1 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 3/4 का मुरब्बा नम्बर 7 का किला नम्बर 1 ता 5 (प्रत्येक 0.253) = 1.265 हैक्टर नहरी व चक 3 बी छोटी के खाता संख्या 34/32 के मुरब्बा नम्बर 17 व 45 की कुल 8.279 हैक्टर नहरी भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से चक 1 बी छोटी के खाता संख्या 3/4 के मुरब्बा नम्बर 6 में 3.542 हैक्टर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की विरास्तन प्राप्त, पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई सम्पत्ति है जो कि पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र है।

इस प्रकार उक्त सम्पत्ति जद्दी जायदाद होने के कारण इसमें वादी व प्रतिवादीया संख्या 3 का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ हक बनता है। प्रतिवादीया संख्या 3 का वादी से बहुत स्नेह व लगाव है तथा उसने अपना हिस्सा वादी को देने के लिए कहा हुआ है तथा अपने हिस्सा का मौखिक हक परित्याग किया हुआ है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा वादी के साथ करके घरू बंटवारा के अनुसार वादी को चक 3 बी छोटी के खाता संख्या 34/32 का मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 6.134 हैक्टर नहरी कृषि भूमि बंटवारा में दी हुई है, जिस पर वादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार ---२

काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काश्त कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा देगें। इस विश्वास पर वादी ने उक्त रकबा में मेहनत करके सुधार कार्य करवाया है।

कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 15.06.2017 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2, वादी को हक व न्याय नही देना चाहते है। यही वाद कारण है।

उक्त हालातों मे उक्त जददी जायदाद में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है। इसलिए यह दावा लाना जरूरी हो गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. चक 3 बी छोटी के खाता संख्या 34/32 का मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 6.134 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री रोबिन गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रकरण में गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवा दिया है तथा बंटवारा अनुसार वादी को घरू बंटवारानामा अनुसार निम्न प्रकार से उसका हिस्सा दे दिया है:–

वादी सतेन्द्र सिंह का हिस्सा :– चक 3 बी छोटी के खाता संख्या 34/32 का मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 6.134 हैक्टर नहरी कृषि भूमि।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। प्रतिवादीया संख्या 3 अपनी स्वेच्छा से अपनी पैतृक भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपने हिस्सा का हक परित्याग करती हैं,

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को अपना मुखत्यार आम मुकर्रर किया हुआ है, तथा मुखत्यानामा आम की रूह से प्रतिवादीसंख्या 2, प्रतिवादिया संख्या 3 की ओर से समस्त कार्यवाही करने के अधिकृत है, उक्त मुखत्यारनामा आम आज दिनांक तक वैध है तथा किसी न्यायालय अथवा कार्यालय अथवा मुखत्यारनामा आम देहिन्दा द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, मुखत्यारनामा आम देहिन्दा आज दिनांक तक जीवित है। अतः उक्त वर्णित अनुसार वाद डिक्री कर दिया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर वा एतराज ना होगा।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

लगभग ... 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

A13/3

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 1 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 3/4 का मुरब्बा नम्बर 7 का किला नम्बर 1 ता 5 (प्रत्येक 0.253) = 1.265 हैक्टर नहरी व चक 3 बी छोटी के खाता संख्या 34/32 के मुरब्बा नम्बर 17 व 45 की कुल 8.279 हैक्टर नहरी भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से चक 1 बी छोटी के खाता संख्या 3/4 के मुरब्बा नम्बर 6 में 3.542 हैक्टर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की विरास्तन प्राप्त, पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई सम्पत्ति है जो कि पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है।

जिसमे से वादी अपना हक घोषित करवाने के अधिकारी होना न्यायोचित पाये जानें पर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के तहत वादी सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 3 बी छोटी के खाता संख्या 34/32 का मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 6.134 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 10.07.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर